

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग


क्रमांक: एफ 1(10) आ.प्र.एवं सहा/सामान्य/2021/ 14944-68 जयपुर, दिनांक 26.11.2021

संशोधित अधिसूचना

अधिसूचना क्रमांक 14149-73 दिनांक 29.10.2021 द्वारा सूखा प्रबंधन संहिता 2016 के आधार पर अजमेर, चूरू, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जालौर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जोधपुर, नागौर, एवं डूंगरपुर जिलों की 69 तहसीलों को अकालग्रस्त घोषित किया गया था।

जिला कलक्टर अजमेर एवं हनुमानगढ़ से प्राप्त विस्तृत गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर जिले में सूखे से खराबा नही होने के कारण पूर्व में अकालग्रस्त घोषित अजमेर जिले की 04 तहसीलों यथा विजयनगर, केकडी, अराई एवं किशनगढ़ तथा हनुमानगढ़ जिले की 01 तहसील नोहर कुल 05 तहसीलों को Denotify किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(आनन्द कुमार)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार
2. विशिष्ट सहायक, आ.प्र. एवं सहायता मंत्री, राजस्थान सरकार
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी मन्त्री राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, जन स्वा. अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राज., जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन, विभाग जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, पशु पालन विभाग, जयपुर।
13. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
14. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एन.डी.एम. डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
15. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम. डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।
16. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।

17. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
18. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर एवं उदयपुर, राज.
19. जिला कलेक्टर, अजमेर, डूंगरपुर, बाडमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, पाली, सिसोदी, जोधपुर, नागौर व चूरु, राजस्थान।
20. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
21. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
22. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण।
23. रक्षित पत्रावली/सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
24. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है। कृपया इसकी 50 प्रतियां इस विभाग को भिजवाये।
25. प्रोग्रामर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त सचिव